बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक

संख्या–2 / एम–70–14 / 2012 गृ0आ0 / श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 28.12.2011 को लगभग संध्या 5:30 बजे इनके द्वारा माननीय सांसद श्री निशिकांत दूबे के मोबाईल सं0–9873306633 पर फोन कर मिथ्या शिकायत के नाम पर पूछ–ताछ की गयी तथा स्वयं के उनके विरूद्ध केस का I.O बताया गया। माननीय संसद सदस्य के साथ मोबाईल पर गलत भाषा का प्रयोग किया गया, साथ ही उन पर माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी की हत्या की योजना बनाने का बेबुनियाद भी आरोप लगाया गया जो श्री हरग्वे के अनुशासनहीनता एवं संदिग्ध आचरण का द्योतक है।

II. श्री हरगवे के द्वारा माननीय सांसद से पूछ–ताछ के क्रम में Protocol का पालन नहीं किया गया। पूछ–ताछ के पूर्व शिकायत पत्र में अंकित तथ्यों का प्रति–परीक्षण नहीं किया गया। इनके द्वारा माननीय सांसद से बिना किसी आवश्यकता के निहायत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ गये जो कि उनके गैर पेशेवराना अमर्यादित आचरण एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।

III. इनके द्वारा अपने आप को विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन पुलिस महानिदेशक महोदय की विद्यता से जोड़ते हुए दूरभाष पर माननीय सांसद से गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के नाम पर सहयोग की मांग की गयी, जो कि इनके क्षेत्राधिकार का स्पष्ट उल्लंधन है। श्री हरग्वे का यह आचरण निश्चित रूप से अमर्यादित अशोभनीय एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

2. उक्त आरोप पर श्री हरग्वे के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 16 (1) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापन–843 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा अपने बचाव में लिखित बचाव अभिकथन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। श्री हरगवे के द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–6137 दिनांक 16.08.2013 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय जांच का निर्णय लिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत श्री रूप रंजन हरगवे के विरूद्ध लगाये गये प्रासंगिक आरोप को सही पाया। सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा आरोपों की प्रकृति को देखते हुए श्री हरगवे को तीन वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना से सहमति की याचना की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र सं0–2253 दिनांक 02.11.2016 द्वारा दण्ड पर यह उल्लेख करते हुए यह असहमति जताई की दण्ड अनुपातिक नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श तथा संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार ने श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना को तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना को तीन वेतन वृद्धि संचायात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना एवं अन्य संबंधित को भेजा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—2/एम—70—14/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक, 2016

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/—

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—2/एम—70—14/2012 गृ0आ0 9446 /पटना, दिनांक 2/12 2016

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (मु0), बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/12/16

सरकार के उप सचिव।